



दूरसंचार अधिनियम 2023

प्रलिस के लिये:

भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, 1885, दूरसंचार सेवाएँ, स्पेसएक्स का स्टारलकि, ट्राई, यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड, डिजिटल भारत नधि, प्रधानमंत्री वाई-फाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस, भारतनेट प्रोजेक्ट, प्रोडक्शन लकिड इंसेटवि (पीएलआई) योजना, भारत 6जी एलायंस

मेन्स के लिये:

दूरसंचार अधिनियम 2023, भारत में दूरसंचार क्षेत्र की स्थिति।

[स्रोत: बजिनेस लाइन](#)

चर्चा में क्यों?

हाल ही में सरकार ने लोकसभा में दूरसंचार अधिनियम 2023 (Telecommunications Bill 2023) पेश किया। यह भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, 1885, भारतीय वायरलेस टेलीग्राफी अधिनियम, 1933 और टेलीग्राफ तार (गैरकानूनी कब्जा) अधिनियम, 1950 को नरिसत करने का प्रयास करता है। यह भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (TRAI) अधिनियम, 1997 में भी संशोधन करता है।

दूरसंचार अधिनियम 2023 के प्रमुख प्रावधान क्या हैं?

- दूरसंचार से संबंधित गतिविधियों के लिये प्राधिकरण: दूरसंचार सेवाएँ प्रदान करने, दूरसंचार नेटवर्क स्थापित करने, संचालित करने, बनाए रखने या विसृति करने या रेडियो उपकरण रखने के लिये केंद्र सरकार से पूर्व प्राधिकरण की आवश्यकता होगी।
 - मौजूदा लाइसेंस उनके अनुदान की अवधि के लिये या पाँच वर्ष हेतु वैध बने रहेंगे, जहाँ अवधि नरिदषिट नहीं है।
- स्पेक्ट्रम का आवंटन: नरिदषिट उपयोगों को छोड़कर, स्पेक्ट्रम को नीलामी द्वारा आवंटित किया जाएगा, जहाँ इसे प्रशासनिक आधार पर आवंटित किया जाएगा। इनमें राष्ट्रीय सुरक्षा और रक्षा, आपदा प्रबंधन, मौसम पूर्वानुमान, परविहन, DTH तथा सैटेलाइट टेलीफोनी जैसी उपग्रह सेवाएँ एवं BSNL, MTNL व सार्वजनिक प्रसारण सेवाएँ जैसे उद्देश्य शामिल हैं।
 - केंद्र सरकार किसी भी आवृत्ति रेंज का पुनः प्रयोजन या पुनःनरिधारण कर सकती है। केंद्र सरकार स्पेक्ट्रम को साझा करने, व्यापार करने, पट्टे पर देने और सरेंडर करने की भी अनुमति दे सकती है।
- सैटेलाइट इंटरनेट आवंटन: अधिनियम वनवेब (भारती द्वारा समर्थित) जैसे सैटेलाइट इंटरनेट प्रदाताओं और स्पेसएक्स के स्टारलकि जैसी अमेरिकी-आधारित कंपनियों को स्पेक्ट्रम आवंटित करने के प्रावधान पेश करता है।
 - वर्तमान में वनवेब और जियो को सक्रिय प्राधिकरण प्रदान किया गया है, जिससे सैटेलाइट-आधारित इंटरनेट सेवाओं का मार्ग प्रशस्त हो गया है।
- अवरोधन और खोज की शक्तियाँ: दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच संदेशों या संदेशों के एक वर्ग को कुछ आधारों पर रोकामॉनटर किया जा सकता है या अवरुद्ध किया जा सकता है।
 - ऐसी कार्रवाइयाँ सार्वजनिक सुरक्षा या सार्वजनिक आपातकाल के हति में आवश्यक या समीचीन होनी चाहिये और नरिदषिट आधारों के हति में होनी चाहिये जिनमें राज्य की सुरक्षा, अपराधों को भडकाने की रोकथाम या सार्वजनिक व्यवस्था शामिल है।
 - इसी आधार पर दूरसंचार सेवाओं को नलिंबति किया जा सकता है। सरकार किसी भी सार्वजनिक आपातकाल या सार्वजनिक सुरक्षा की स्थिति में किसी भी दूरसंचार बुनियादी ढाँचे, नेटवर्क या सेवाओं पर अस्थायी कब्जा कर सकती है।
 - सरकार द्वारा अधिकृत कोई अधिकारी अनधिकृत दूरसंचार नेटवर्क या उपकरण रखने के लिये परिसरों या वाहनों की तलाशी ले सकता है।
- मानक नरिदषिट करने की शक्तियाँ: केंद्र सरकार दूरसंचार उपकरण, बुनियादी ढाँचे, नेटवर्क और सेवाओं के लिये मानक तथा मूल्यांकन नरिधारित कर सकती है।
- मार्ग का अधिकार: सुविधा प्रदाता दूरसंचार बुनियादी ढाँचे की स्थापना के लिये सार्वजनिक या नजि संपत्ति पर रास्ते/मार्ग का अधिकार मांग सकते हैं।
 - जहाँ तक संभव हो रास्ते का अधिकार गैर-भेदभावपूर्ण और गैर-वशिष्ट आधार पर प्रदान किया जाना चाहिये।
- उपयोगकर्ताओं की सुरक्षा: केंद्र सरकार उपयोगकर्ताओं की सुरक्षा हेतु उपाय प्रदान कर सकती है जिसमें शामिल हैं: वजिापन संदेश

यथा नरिदषिट संदेश प्राप्त करने के लिये पूरव सहमति, डू नॉट डसिटर्ब रजसिटर्स का नरिमाण और उपयोगकर्त्ताओं को मैलवेयर या नरिदषिट संदेशों की रपिर्ट करने की अनुमति देने के लिये एक तंत्र ।

- स्पैम कॉल और संदेशों से नपिटने हेतु दूरसंचार ग्राहकों के लिये **बायोमेट्रिकि प्रामाणीकरण** अनवार्य है ।
- दूरसंचार सेवाएँ प्रदान करने वाली संस्थाओं को शकियतों के पंजीकरण और नवारण के लिये एक ऑनलाइन तंत्र स्थापति करना होगा ।
- **TRAI में नयिकृतियाँ:** वधियक **TRAI अधनियिम में संशोधन करता है** जसिसे वयकृतियों को अधयकष/चेयरपरसन के रूप में काम करने के लिये कम-से-कम 30 वर्षों का पेशेवर अनुभव और सदस्यों के रूप में काम करने के लिये कम-से-कम 25 वर्षों के पेशेवर अनुभव की अनुमति मिलिती है ।
- **डजिटिल भारत नधि:** **यूनरिर्सल सरवसि ऑब्लगिशन फंड** की स्थापना वर्ष **1885 अधनियिम** के तहत वंचति कषेत्रों में दूरसंचार सेवाएँ प्रदान करने के लिये की गई है ।
 - वधियक इस प्रावधान को बरकरार रखता है, **फंड का नाम बदलकर डजिटिल भारत नधि** रखा गया है और अनुसंधान एवं वकिकास के लिये इसके उपयोग की भी अनुमति देता है ।
- **OTT ऐप्स का वनियिमन:** इसने व्हाट्सएप और टेलीग्राम जैसे संचार सेवा प्रदाताओं को बड़ी राहत देते हुए, **दूरसंचार सेवाओं की परभाषा से ओवर-द-टॉप (OTT) सेवाओं और ऐप्स को हटा दिया है** ।
 - **इलेक्ट्रॉनिकिस और IT मंत्रालय** संभावति डजिटिल इंडिया अधनियिम के तहत OTT ऐप्स के वनियिमन को संभालेगा, जो दूरसंचार वधियक में शामिल नही है ।
- **अपराध और दंड:** वधियक वभिन्न आपराधकि और नागरकि अपराधों को नरिदषिट करता है । प्राधकिरण के बनिा दूरसंचार सेवाएँ प्रदान करना या दूरसंचार नेटवर्क या डेटा तक अनधकृत पहुँच प्राप्त करना, **तीन वर्ष तक का कारावास, दो करोड रुपए तक का जुर्माना या दोनों के साथ दंडनीय है** ।
 - प्राधकिरण के नयिमों और शर्तों का उल्लंघन करने पर **पाँच करोड रुपए तक का नागरकि जुर्माना** लगाया जा सकता है ।
 - अनधकृत उपकरण रखने या अनधकृत नेटवर्क या सेवा का उपयोग करने पर **दस लाख रुपए तक का जुर्माना** हो सकता है ।
- **न्यायनरिणयन प्रकरिया:** केंद्र सरकार वधियक के तहत नागरकि अपराधों के खलिाफ **जाँच करने और आदेश पारति करने के लिये एक न्यायनरिणयन अधकिारी नयिकृत** करेगी ।
 - अधकिारी संयुक्त सचवि और उससे ऊपर के पद का होना चाहयि ।
 - नरिणायक अधकिारी के आदेशों के खलिाफ 30 दिनों के भीतर नामति **अपील समति के समकष अपील** की जा सकती है ।
 - नयिमों और शर्तों के उल्लंघन के संबंध में समति के आदेशों के खलिाफ दूरसंचार वविाद नपिटान तथा अपीलीय न्यायाधकिरण (TDSAT) में 30 दिनों के भीतर अपील दायर की जा सकती है ।
- **वशिवसनीय स्रोत वयवस्था:** संभावति रूप से प्रतकिल देशों से दूरसंचार उपकरणों के आयात को रोकने के लिये वर्ष 2020 में भारत-चीन सीमा संघर्ष के बाद प्रारंभ में स्थापति एक उपाय **अब कानून में एकीकृत कर दिया गया है** ।

भारत में टेलीकॉम सेक्टर की स्थिति क्या है?

- **स्थिति:**
 - भारत में **दूरसंचार उद्योग** अगस्त 2023 तक 1.179 बलियिन (वायरलेस + वायरलाइन उपयोगकर्त्ता) के उपयोगकर्त्ता आधार के साथ **वशिव में दूसरा सबसे बड़ा उद्योग** है ।
 - यह **FDI अंतरवाह के मामले में चौथा सबसे बड़ा कषेत्र** है, जो कुल FDI अंतरवाह में 6% का योगदान देता है ।
 - भारत में **कुल टेली-घनत्व 84.69%** है । टेली-घनत्व प्रति 100 जनसंख्या पर टेलीफोन की संख्या को दर्शाता है तथा दूरसंचार तक पहुँच का एक प्रमुख संकेतक है ।
 - प्रति वायरलेस डेटा उपयोगकर्त्ता की औसत मासकि डेटा खपत भी मार्च 2014 में 61.66 MB से बढ़कर मार्च 2023 में 17.36 GB हो गई है ।
- **संबंधति सरकारी पहल:**
 - **प्रधानमंत्रि वाई-फाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस (PM-WANI)**
 - **भारतनेट परयिोजना** ।
 - दूरसंचार और नेटवर्कगि उत्पादों के वनरिमाण के लिये **उत्पादन आधारति प्रोत्साहन (PLI) योजना** ।
 - **भारत 6G एलायंस** ।